महत्वपूर्ण / समयबद्ध

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
पशुपालन विभाग, मेरठ / बागपत / बुलन्दशहर / गाजियाबाद / हापुड़ / गौतमबुद्वनगर / सहारनपुर / मुजफ्फरनगर / शामली / मुरादाबाद / अमरोहा / बिजनौर / रामपुर / सम्भल / आगरा / फिरोजाबाद / मैनपुरी / मथुरा / अलीगढ़ / कासगंज / हाथरस / एटा / बरेली / बदॉयू / शाहजहॉपुर / पीलीभीत / कानपुर नगर / कानपुर देहात / कन्नौज / इटावा / औरैया / फर्रुखाबाद / लखनऊ / रायबरेली / हरदोई / सीतापुर / उन्नाव / खीरी / फैजाबाद / बाराबंकी / सुल्तानपुर / अम्बेदकरनगर / अमेठी / गोण्डा / बहराइच / श्रावस्ती / बलरामपुर / बस्ती / सिद्वार्थनगर / संतकबीरनगर / गोरखपुर / देवरिया / कुशीनगर / महराजगंज।

पत्रांक 47 / प0-2 / 3डी0-59 / चारा / रा0यो0 / 2015-16 दिनॉक 03 मार्च,2016

विषयः- प्रदेश के पशुपालकों को पशुओं के लिये पौष्टिक चारा खिलाकर पशु उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक विभाग द्वारा प्रस्तुत योजना के समक्ष शासन द्वारा संदर्भित योजना के कियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-10 / 2016 / 465 / सैतीस-2-2016-1(42) / 2014, दिनॉक 24 फरवरी,2016 द्वारा वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है, जिसका आवंटन कार्यालय के पत्र संख्या-574 / बजट / 29(5) अनु0-15 / 31 / 2015-1 दिनॉक 29.02.2016 द्वारा किया गया है। जनपदवार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निम्न दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये योजना को कियान्वित किया जायः-

1. योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थित मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा जनपद में पदस्थ पशु चिकित्साधिकारियों के सहयोग से प्रदेश के 59163 ग्राम पंचायतो में से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में 41250 **(संलग्न विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार)** ग्राम पंचायतों में, प्रति ग्राम पंचायत एक लाभार्थी को लाभान्वित कराया जायेगा। अवशेष चयनित लाभार्थियों को अग्रिम वित्तीय वर्षो में लाभान्वित कराये जाने का प्रस्ताव है।
2. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत से 01 इच्छुक लघु / सीमान्त पशुपालक, जो कम से कम 02 बड़े दुधारू पशु पालता हो, का ही चयन किया जायेगा। प्रदेश के अल्पसंख्यकों की भागीदारी शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित की जाये।
3. दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जायेगा। लाभार्थियों का चयन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें उपमुख्य पशुचिकित्साधिकारी सदस्य / सचिव, सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित सदस्य तथा सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी सदस्य होंगे, के द्वारा लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में आये प्रस्ताव एवं उपर्युक्त निर्धारित पात्रता के आधार पर किया जायेगा।
4. योजनान्तर्गत लाभार्थी को नगद धनराशि नही दी जायेगी।
5. लाभार्थी को विभाग द्वारा निम्न सामग्री कय कर निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी-

1- लोअर प्लास्टिक सीट आकार 90'' X 60''	- एक
2- अपर प्लास्टिक सीट आकार 102'' X 72''	- एक
3-दस ली0 क्षमता वाला स्प्रिंकलर	- एक
4-यूरिया उपचार संबंधी तकनीकी निर्देशिका	- एक

6. कार्यालय पत्र संख्या 574/बजट/29(5)अनु0–15/31 /2015–16, दिनॉक 29.02.2016 द्वारा आवंटित धनराशि में दिये गये निर्देशो का शत–प्रतिशत अनुपालन करते हुये मदवार व्यय/क्रय निम्नानुसार किया जायेगाः–
   (अ) मानक मद 42–अन्य व्यय में आवंटित धनराशि से स्प्रिंकलर एवं निर्देशिका।
   (ब) मानक माद 43–सामग्री एवं सम्पूर्ति में आवंटित धनराशि से लोअर एवं अपर प्लास्टिक सीट।
7. योजना अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री की दरों का निर्धारण 2015–16 हेतु निदेशालय स्तर से कर दिया गया है। संलग्न दर सूची एवं नियम शर्तों का संज्ञान लेते हुये आवश्यक सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय **(संलग्नक–2)**।
8. क्रय की जाने वाली सामग्री हेतु उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली के अनुक्रम में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर कार्यवाहीं सुनिश्चित की जाये।
9. किसी भी परिस्थिति में शासनादेश संख्या 10/2016/465/सैतींस–2–2016–1(42)/2014, दिनॉक 24 फरवरी, 2016 के माध्यम से प्रदत्त निर्देशों एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत कार्यक्रम संचालन हेतु विभिन्न निर्देशों का विचलन न किया जाये।
10. चयनित लाभार्थी का पूर्ण विवरण पशुचिकित्सालय/मु0प0चि0अ0 कार्यालय पर रखा जाय, ताकि योजना का मूल्याकंन/अनुश्रवण करने वाले अधिकारी को तत्काल सूचनाये उपलब्ध करायी जा सकें। चयनित लाभार्भियो की सूचनी निम्न प्रारूप पर तत्काल उपलब्ध कराया जायेः–

क्रमांक	लाभार्थी का नाम	पिता का नाम	लाभार्थी की श्रेणी	स्थायी पता	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4	5	6	7

11. योजना के क्रियान्वन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित कर दिया जाय, ताकि किसी भी स्तर पर शिथिलता न बरती जाय।
12. इस कार्यक्रम का अनुश्रवण/सत्यापन मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं चारा से सम्बन्धित स्टाफ द्वारा शत प्रतिशत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–।। द्वारा भी सत्यापन किया जायेगा।
13. आवंटित धनराशि का व्यय प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करें तथा व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णय),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

पत्रांक /प0–2/3डी0–59/चारा/रा0यो0/2015–16 तद्दिनॉक।

1–प्रतिलिपि सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड–2, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ मुख्य पशुचिकित्साधिकारी से उक्त के संबंध में अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
2–प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।
3–प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णय),
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

शासनादेश संख्या-10/2016/465/सैंतीस-2-2016-1(42)/2014, दिनांक 24फरवरी,2016 द्वारा अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना(रा0यो0) अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य

परिशिष्टि-1

धनराशि रू0 हजार में

क0सं0	जनपद का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या (एक लाभार्थी प्रति ग्रा0प0)	मानक मदवार आवंटित धनराशि		
				42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	**मेरठ मण्डल**					
	मेरठ	482	482	282.00	333.00	615.00
	बागपत	245	245	143.00	169.00	312.00
	बुलन्दशहर	951	951	556.00	656.00	1212.00
	गाजियाबाद	162	162	95.00	112.00	207.00
	हापुड़	273	273	160.00	188.00	348.00
	गौतमबुद्ध नगर	153	153	90.00	106.00	196.00
	योग	**2266**	**2266**	**1326.00**	**1564.00**	**2890.00**
2	**सहारनपुर मण्डल**					
	सहारनपुर	887	887	519.00	612.00	1131.00
	मुजफ्फर नगर	498	498	291.00	344.00	635.00
	शायली	230	230	135.00	159.00	294.00
	योग	**1615**	**1615**	**945.00**	**1115.00**	**2060.00**
3	**मुरादाबाद मण्डल**					
	मुरादाबाद	588	588	344.00	406.00	750.00
	ज्योतिबाफूले नगर	601	601	352.00	415.00	767.00
	बिजनौर	1128	1128	660.00	778.00	1438.00
	रामपुर	684	684	400.00	472.00	872.00
	सम्भल	556	556	325.00	384.00	709.00
	योग	**3557**	**3557**	**2081.00**	**2455.00**	**4536.00**
4	**आगरा मण्डल**					
	आगरा	695	695	407.00	480.00	887.00
	फिरोजाबाद	570	570	333.00	393.00	726.00
	मैनपुरी	560	560	328.00	386.00	714.00
	मथुरा	547	547	320.00	378.00	698.00
	योग	**2372**	**2372**	**1388.00**	**1637.00**	**3025.00**
5	**अलीगढ़ मण्डल**					
	अलीगढ़	902	902	528.00	622.00	1150.00
	कासगंज	423	423	248.00	292.00	540.00
	हाथरस	474	474	277.00	327.00	604.00
	एटा	576	576	337.00	398.00	735.00
	योग	**2375**	**2375**	**1390.00**	**1639.00**	**3029.00**
6	**बरेली मण्डल**					
	बरेली	1193	1193	698.00	823.00	1521.00
	बदायुं	1038	1038	607.00	716.00	1323.00
	शाहजहाँपुर	1077	1077	630.00	743.00	1373.00
	पीलीभीत	721	721	422.00	497.00	919.00
	योग	**4029**	**4029**	**2357.00**	**2779.00**	**5136.00**
7	**कानपुर मण्डल**					
	कानपुर नगर	590	590	345.00	407.00	752.00

क0सं0	जनपद का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या (एक लाभार्थी प्रति ग्रा0प0)	मानक मदवार आवंटित धनराशि		
				42–अन्य व्यय	43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7
	कानपुर देहात	640	640	374.00	442.00	816.00
	कन्नौज	504	504	295.00	348.00	643.00
	इटावा	471	471	276.00	325.00	601.00
	औरैया	477	477	279.00	329.00	608.00
	फर्रूखाबाद	603	603	353.00	416.00	769.00
	योग	**3285**	**3285**	**1922.00**	**2267.00**	**4189.00**
8	**लखनऊ मण्डल**					
	लखनऊ	570	570	333.00	393.00	726.00
	रायबरेली	989	989	579.00	682.00	1261.00
	हरदोई	1308	1308	765.00	903.00	1668.00
	सीतापुर	1600	1600	936.00	1104.00	2040.00
	उन्नाव	1044	1044	611.00	720.00	1331.00
	खीरी	1167	1167	683.00	805.00	1488.00
	योग	**6678**	**6678**	**3907.00**	**4607.00**	**8514.00**
9	**फैजाबाद मण्डल**					
	फैजाबाद	835	835	489.00	576.00	1065.00
	बाराबंकी	1169	1169	683.00	807.00	1490.00
	सुल्तानपुर	986	986	577.00	680.00	1257.00
	अम्बेडकर नगर	930	930	544.00	642.00	1186.00
	अमेठी	682	682	399.00	471.00	870.00
	योग	**4602**	**4602**	**2692.00**	**3176.00**	**5868.00**
10	**देवीपाटन मण्डल**					
	गोण्डा	1054	1054	617.00	727.00	1344.00
	बहराइच	1054	1054	617.00	727.00	1344.00
	श्रावस्ती	400	400	234.00	276.00	510.00
	बलरामपुर	801	801	469.00	553.00	1022.00
	योग	**3309**	**3309**	**1937.00**	**2283.00**	**4220.00**
11	**बस्ती मण्डल**					
	बस्ती	1247	1247	729.00	860.00	1589.00
	सिद्धार्थ नगर	1200	1200	702.00	828.00	1530.00
	संतकबीर नगर	794	794	464.00	548.00	1012.00
	योग	**3241**	**3241**	**1895.00**	**2236.00**	**4131.00**
12	**गोरखपुर मण्डल**					
	गोरखपुर	1354	1354	791.00	934.00	1725.00
	देवरिया	1190	1190	695.00	821.00	1516.00
	कुशी नगर	1121	1121	655.00	773.00	1428.00
	महाराजगंज	256	256	150.00	177.00	327.00
	योग	**3921**	**3921**	**2291.00**	**2705.00**	**4996.00**
	कुल योग	**41250**	**41250**	**24131.00**	**28463.00**	**52594.00**

(रू0 पाँच करोड़ पच्चीस लाख चौरानबे हजार मात्र)

(डा0 राजेश बाबू वार्ष्णेय)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास।

(17)

कार्यवृत्त

दिनांक 27–07–2015 को प्रचार सामग्री की आमंत्रित निविदा क्रमांक–1, 2, 3 की निविदा की तकनीकी विड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय विड निविदा क्रमांक–1 के तीन निविदादाताओं की तथा निविदा क्रमांक–2 के तीन निविदादाताओं की और निविदा क्रमांक–3 के चार निविदादाताओं की वित्तीय विड खोली गयीं जिसका तुलनात्मक चार्ट तैयार किया गया। जिसके अन्तर्गत निम्नवत न्यूनतम दरें प्राप्त हुई।

निविदा क्रमांक–1

निविदा क्रमांक–1 के कमांक 1 के उप कमांक की सामग्री 300, 250, 220, 200, जी0एस0एम0 तथा कमांक–2 के उप कमांक की सामग्री 120, 120, 100, 80, 60, 50 जी.एस.एम.,की तथा कमांक–3 (मुद्रित पंजिकायें) की न्यूनतम दर मैसर्स तनवीर टैक्नोग्राफिक्स लखनऊ की प्राप्त हुई । कमांक –1 के उप कमांक की सामग्री 120, 120, 100, 80, 60, 50 जी.एस.एम.,की तथा कमांक 2 के उप कमांक की सामग्री 300, 250, 220, 200, जी0एस0एम0 और कमांक 4 की न्यूनतम दर मैसर्स प्रिन्टको प्रिन्टर्स लखनऊ की प्राप्त हूई है । अतः समिति न्यूनतम दर दाता फर्मो की न्युनतम दरो की स्वीकृति प्रदान करती है ।

निविदा क्रमांक–2

निविदा क्रमांक–2 के कमांक 8 (चैफ कटर) की दरें समिति द्धारा मान्य नही हैं क्यो कि मैसर्स रेनबो ऑफसेट, लखनऊ , तनवीर टेक्नोग्राफिक्स, लखनऊ ,तथा सहयोगी इंटरप्राइज, लखनऊ ने तकनीकी विड के साथ कमांक –8 का नमूना प्रस्तुत नही किया था । अतः कमांक –8 को छोडकर शेष कमांक –1,2,3,4,5,6,7,9,10 (पशु स्वास्थ्य कार्ड कवर,पशु पालक जागरूकता चार्ट,प्लास्टिक सीट,स्टिकप्ला,रोटेटिंग बैनर,फोल्डिंग स्टाल,सिंप्रिकलर,साईजेज आउटर बैग,इनर बैग) की न्यूनतम दर मैसर्स सहयोगी इन्टरप्राईज गोमती नगर लखनऊ की प्राप्त हो रही है। समिति वर्ष 2015–16 हेतु न्यूनतम दर की स्वीकृति प्रदान करती है ।

निविदा क्रमांक–3

निविदा क्रमांक–3 के क्रमांक–1 की बुकलेट ए–4 साइज तथा बुकलेट ए–4/2 की न्यूनतम दर तनवीर टेक्नोग्राफिक्स और प्रिन्टको प्रिंटर्स की है। क्रमांक–2(राईटिंग पेन) की न्यूनतम दर मैसर्स सहयोगी इन्टरप्राईजेज की है। क्रमांक–3 (पैड) की न्यूनतम दर मैसर्स प्रिंटको प्रिंटर्स की है। शेष क्रमांक 4, 5, 6, 7, 8, 9, तथा 10(बैज,बैग,बैग,प्लास्टिक बैग,पाली बुक,बुकलेट विद पाली कवर,प्रशिक्षण चेयर)की न्यूनतम दर मैसर्स सहयोगी इंटरप्राइज, लखनऊ की है। अतः समिति न्युनतम दर दाताओ की दरो की स्वीकृति हेतु संस्तुति करती है ।

27.7.15
(राजा सिंह यादव)
सहायक निदेशक(प्रचार)
सदस्य क्रय समिति

27/7
(डा. पी0के0 त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक (रो.नि.)
सदस्य क्रय समिति

(डा. पी.एस. गौतम)
अपर निदेशक (गोधन)
सदस्य क्रय समिति

27.7.15
(के0के0 रावत)
वित्त नियंत्रक(मुख्यालय)
सदस्य क्रय समिति

30/7/15
(डा. रूद्र प्रताप)
निदेशक/अध्यक्ष क्रय समिति

कार्यालय निदेशक पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ
निविदा क्रमांक 1, 2, 3 हेतु नियम तथा शर्तें

निदेशालय पशुपालन विभाग उ.प्र. लखनऊ निविदा प्रपत्र में अंकित सामग्री/कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित करता है। जिसकी निम्नलिखित शर्तें तथा नियम हैं। जिसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के उपरान्त निविदा में भाग लें तथा प्रपत्र में अपनी दरें अंकित करें।

नियम तथा शर्तें

1. निविदा प्रपत्र में अंकित सामग्री/कार्य विभाग द्वारा निर्धारित किये गये चित्रों तथा साहित्य की थीम के अनुसार डिजाइन तैयार कर विभाग से अनुमोदन कराने के उपरान्त सामग्री तैयार कर आपूर्ति/कार्य करेगा। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का मूल्य सभी करों तथा अधिभार सहित होगा। कोई भी सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। विभाग किसी भी प्रकार के अधिभार का भुगतान नहीं करेगा।
2. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री/कार्य निविदा में दिये गये विवरण की गुणवत्ता के अनुसार होगी निम्न स्तर तथा मानक के अनुरूप न होने पर आपूर्ति अस्वीकार कर दी जायेगी जिसका जिम्मेदार निविदादाता स्वयं होगा विभाग को आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का कोई भुगतान विभाग से प्राप्त नहीं होगा।
3. प्रत्येक निविदादाता निविदा के साथ तकनीकी भाव प्रपत्र में धरोहर राशि का एफ.डी.आर. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का निदेशक पशुपालन विभाग उ.प्र. लखनऊ के नाम बन्धक करते हुये निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा क्रमांक 1,2,3 पर समस्त सहकारी संस्थाओं तथा निगमों पर भी उक्त शर्त लागू होग

4. न्यूनतम निविदादाता द्वारा विभाग से निर्धारित अनुबन्ध करना होगा यदि समयान्तर्गत नहीं करता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

5. निविदादाता को अपने कार्यस्थल का स्थाई पता निविदा की तकनीकी भाव प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। निविदादाता का कार्य स्थल/मशीनरी तथा संसाधनों की पुष्टि विभागीय अधिकारियों द्वारा की जायेगी कि निविदादाता कार्य आदेश प्राप्ति के उपरान्त आपूर्ति करनें में सक्षम हैं या नहीं। यदि कार्य स्थल/मशीनरी किसी अन्य फर्म की पाई जाती है तो निविदादाता की निविदा निरस्त कर क्रय समिति धरोहर राशि जब्त करते हुये फर्म को काली सूची में डाल देगा।

6.निविदादाता द्वारा निविदा की तकनीकी भाव प्रपत्र के साथ वाणिज्य कर विभाग तथा श्रम विभाग का पंजीकरण वर्ष 2015–16 तक वैधता सहित तथा कर्मचारियो का ग्रुप इन्सोरेन्स जो कि निविदा प्रकाशन के पूर्व तिथि का होना चाहिये। उक्त प्रपत्र तकनीकी विड के साथ संलग्न करना अनिवार्य अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी । वाणिज्य कर विभाग का वर्ष 2014–15 का अदेय प्रमाण पत्र तथा वैट का पंजीकरण टिन नंबर तथा फर्म का आयकर पैन नंबर के पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति तथा विगत वर्ष 2014–15 की आयकर विवरणी भी संलग्न करना अनिवार्य है।

7. निविदादाता आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का नमूना तथा मुद्रण एवं विज्ञापन कार्य की निविदादाता फर्म पशुओं के प्रजाति की नवीनतम चित्र जो विभाग द्वारा पूर्व में मुद्रित न कराये गये हों उसकी एक सी.डी. में संकलित कर फर्म की सील तथा हस्ताक्षर सहित एक सील्ड लिफाफे में दिनांक :23–6– 2015 समय 12–00 बजे तक जमा करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

8. तकनीकी भाव प्रपत्र के लिफाफे में सम्बन्धित प्रपत्र रखकर सील किये जायेगें। वित्तीय भाव प्रपत्र के दो लिफाफे होगें जिसमें सामग्री आपूर्ति की न्यूनतम धनराशि एक जैसी ही अंकित की जायेगी। जिसे अलग–अलग लिफाफों में सील कर एक बड़े लिफाफे में सील करने के उपरान्त सामग्री आपूर्ति का नाम अंकित करके तकनीकी भाव प्रपत्र का लिफाफा और वित्तीय भाव प्रपत्र के लिफाफों को एक बड़े लिफाफे के अंदर कर सील करेगा तथा लिफाफे के ऊपर सामग्री आपूर्ति का नाम अंकित कर निविदा बॉक्स में डाला जायेगा।

9. निविदायें दिनांक :23–6–2015 को समय 12–00 बजे तक निदेशालय की प्रचार शाखा में रखे निविदा बॉक्स में डाली जायेगी । विलम्ब से प्राप्त होने वाली किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त अवधि में प्राप्त सभी निविदाओं कोदिनांक 23–6–2015 को समय 15:00 बजे विभागीय क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा खुलने के समय यदि निविदादाता भाग लेना चाहता है तो भाग ले सकता है। निविदादाता फर्म का मालिक ही निविदा से सम्बन्धित समस्त औपचारिकताओं के लिये अधिकृत होगा फर्म का कोई भी प्रतिनिधि सहभागिता हेतु अधिकृत नहीं होगा। निविदा खुलने के समय फर्म का मालिक ही भाग लेने का पात्र है। फर्म का मालिक ही विभागीय अधिकारियों से पत्राचार तथा वार्तालाप हेतु अधिकृत होगा।

10. न्यूनतम दर अनुबन्ध निविदादाता को कुल कार्य आदेश की आपूर्ति पर होने वाले व्यय का 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में एफ.डी.आर. जो निदेशक पशु पालन विभाग उ.प्र. लखनऊ के नाम बन्धक हो जमा करना पड़ेगा तथा जमानत राशि के अनुरूप विभागीय नियमानुसार आपूर्ति हेतु अनुबन्ध तीन दिवस के अंदर करना होगा तथा अनुबन्ध के स्टाम्प पेपर आदि पर होने वाला व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।

11. न्यूनतम दर स्वीकृत निविदादाता को विभाग से तीन दिवस के अंदर नियमानुसार स्टाम्प पेपर में वित्तीय वर्ष 2015–16 की आपूर्ति हेतु अनुबंध विभागीय नियमों तथा शर्तो के अनुसार भरना होगा। जिसमें दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होगें। अनुबंध के स्टाम्प पेपर पर होने वाला व्यय निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा।

12. किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष क्रय समिति/निदेशक पशु पालन विभाग उ.प्र. लखनऊ को होगा। प्रचार शाखा उपलब्ध बजट के अनुसार आपूर्ति की मात्रा में कमी या बढ़ोत्तरी करने तथा क्रय आपूर्ति आदेश निर्गत करने तथा न निर्गत करने का अधिकार निदेशक पशु पालन विभाग उ.प्र. लखनऊ का होगा।

13. न्यूनतम दर स्वीकृत निविदादाता को आपूर्ति विभाग द्वारा दिये गये आपूर्ति आदेश में अंकित जनपद मुख्यालय में अंकित मात्रा पर समयान्तर्गत करनी होगी। यदि समयान्तर्गत आपूर्ति करने में असफल तथा कम दर ट्रेंड होने पर उसकी जमानत राशिजब्त करते हुये आपूर्ति की गई सामग्री का कोई भी भुगतान नहीं किया जायेगा तथा फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

14. आपूर्ति/कार्य समाप्ति की अवधि का समय तकनीकी भाव प्रपत्र में निविदादाता द्वारा भरा जाना अनिवार्य है।

15. यदि कोई फर्म किसी भी राजकीय विभाग की काली सूची में दर्ज है या उसके विरूद्ध कार्यवाही विचाराधीन है तथा विगत वर्षों की निविदा प्रक्रिया के मध्य में नाम वापस लेने वाली फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकती है। यदि विभाग को जानकारी प्राप्त होती है तो निविदा निरस्त करते हुये फर्म की समस्त जमा तथा भुगतान की धनराशि जब्त कर काली सूची में डाल देगा।

16. निविदा के समस्त प्रपत्रों पर फर्म के मालिक के हस्ताक्षर ही मान्य होगें। फर्म के किसी प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मान्य नहीं होगें।

17. तकनीकी भाव प्रपत्र में सफल हुए निविदादाताओं की ही वित्तीय भाव प्रपत्र खोली जायेगी।

18. समस्त निविदादाताओं के प्रपत्रों का परीक्षण सम्बन्धित विभागों से गोपनीय कराया जायेगा। यदि किसी प्रपत्र में त्रुटि पायी जायेगी तो निविदा की धरोहर राशि जब्त करते हुए काली सूची में डाल दिया जायेगा तथा उसके विरूद्ध प्रशासनिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

19. वित्तीय भाव प्रपत्र में अंकित सामग्री तथा साइज की ही दर भरी जायेगी अन्य कोई विवरण अंकित नहीं किया जायेगा। सामग्री आपूर्ति के उपरान्त बीजक बिल का भुगतान विभाग द्वारा टी.डी.एस. की धनराशि/अन्य कोई विभागीय यदि देय होगा तो उसकी कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

20. निविदा क्रमांक–1 के मुद्रण कार्य हेतु फर्म का राजकीय मुद्रणालय का पंजीकरण प्रमाण–पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है तथा एक बार मे चार कलर मुद्रण करने की मशीन फर्म के पास होना आवश्यक है। निविदा क्रमांक –2,तथा 3 की सामग्री हेतु पी.पी./पॉलीथीन की फिल्म बनाने तथा पॉलीथीन, फ्लैक्स, फोम में प्रिंट करने की मशीन होना आवश्यक है, राजकीय मुद्रणालय का पंजीकरण प्रमाण–पत्र आवश्यक नहीं है।

21. समस्त आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का किसी भी राजकीय विभाग से पूर्व में आपूर्ति का दस लाख तक का एक मुश्त आपूर्ति आदेश की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है तथा प्रदेश के जनपद मुख्यालयों में आपूर्ति का प्रमाण–पत्र , किसी भीराजकीय विभाग का संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

22. निविदा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद का न्यायिक स्थल जनपद मुख्यालय लखनऊ होगा।

23. सामग्री की आपूर्ति प्रदेश के अर्न्तगत आने वाले जनपदों में निदेशालय द्वारा आवंटन के अनुसार फर्म द्वारा की जानी है। अतः निविदादाता का केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर विभाग में सेवाकर का पंजीकरण निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

24. फर्म द्वारा विगत तीन वर्ष की बैलेन्स सीट तथा जमा किया गया आयकर,सेवाकर तथा बिक्रीकर की रसीद भी संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

25. निविदादाता/फर्म के मालिक को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र वर्तमान तक वैद्य हो, संलग्न करना अनिवार्य है ।

26. फर्म का विद्युत संयोजन वाणिज्यिक होना अनिवार्य है जिसके प्रमाण हेतु विगत माह का विद्युत बिल की छाया प्रति संलग्न की जाये।

27. फर्म का एम.एस.एम.ई. (पार्ट –2)/एस.एस.आई./के.वी.आई. में पंजीकरण का प्रमाण–पत्र भी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। सामग्री निर्माता फर्म ही निविदा में सहभागिता की पात्र हैं।

28. निविदादाता द्वारा रू. 100/– के नॉन जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर यह शपथ–पत्र देना होगा कि फर्म किसी भी राजकीय विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं है, न ही कोई कार्यवाही विचाराधीन है। शपथ–पत्र तकनीकी विड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

1–निविदा क्रमांक–1 मुद्रण कार्य, धरोहर राशि 1,00,000/–
2–निविदा क्रमांक–2 प्रदर्शन हेतु निर्मित विविध सामग्री, धरोहर राशि 1,00,000/–
3–निविदा क्रमांक–3 प्रशिक्षण सामग्री, धरोहर राशि:– 1,00,000/–

अध्यक्ष क्रय समिति/
निदेशक
पशुपालन विभाग उ.प्र. लखनऊ

निविदा क्रमांक –2 (प्रदर्शन हेतु निर्मित सामग्री) का वित्तीय भाव प्रपत्र का तुलनात्मक चार्ट (वर्ष 2015–16)

सामग्री का नाम		रैनबो ऑफसेट, लखनऊ		सहयोगी इंटरप्राइज, लखनऊ		तनवीर टेक्नोग्राफिक्स, लखनऊ	
		मात्रा एक हजार तक दर प्रति स्क्वायर इंच	मात्रा एक हजार ऊपर दर प्रति स्क्वायर इंच	मात्रा एक हजार तक दर प्रति स्क्वायर इंच	मात्रा एक हजार ऊपर दर प्रति स्क्वायर इंच	मात्रा एक हजार तक दर प्रति स्क्वायर इंच	मात्रा एक हजार ऊपर दर प्रति स्क्वायर इंच
1–पशु स्वास्थ्य कार्ड कवर विभिन्न साइज पी.पी. / पॉलीथीन पारदर्शी, तीन तरफ साइड सीलिंग, ऊपर की ओर ओपन	150 माइक्रान	पैसा 9	पैसा 9	पैसा 7	पैसा 7	पैसा 8	पैसा 8
	100 माइक्रान	पैसा 8	पैसा 8	पैसा 6	पैसा 6	पैसा 7	पैसा 7
	50 माइक्रान	पैसा 8	पैसा 8	पैसा 6	पैसा 6	पैसा 7	पैसा 7
2–पशु पालक जागरूकता चार्ट / प्रदर्शन चार्ट हैंगिंग सुविधा सहित व विभाग द्वारा अनुमोदित डिजाइन के अनुसार चार कलर में मुद्रित। आगलेट / लौह पतीयुक्त टांगने की व्यवस्था के साथ	150 माइक्रान फ्लेक्स	पैसा 36	पैसा 36	पैसा 33	पैसा 33	पैसा 35	पैसा 35
	100 माइक्रान फ्लेक्स	पैसा 33	पैसा 33	पैसा 31	पैसा 31	पैसा 33	पैसा 33
	150 माइक्रान पॉलीपेपर पॉलीथीन	पैसा 18	पैसा 18	पैसा 13	पैसा 13	पैसा 14	पैसा 14
	100 माइक्रान पॉलीपेपर पॉलीथीन	पैसा 18	पैसा 18	पैसा 13	पैसा 13	पैसा 14	पैसा 14
	150 माइक्रान फोम	पैसा 17	पैसा 17	पैसा 13	पैसा 13	पैसा 14	पैसा 14
	100 माइक्रान फोम	पैसा 17	पैसा 17	पैसा 13	पैसा 13	पैसा 14	पैसा 14
3–प्लास्टिक शीट पॉलीथीन मैटेरियल से निर्मित	300 माइक्रान	पैसा 9	पैसा 9	पैसा 7	पैसा 7	पैसा 8	पैसा 8
	250 माइक्रान	पैसा 8	पैसा 8	पैसा 6	पैसा 6	पैसा 7	पैसा 7
	200 माइक्रान	पैसा 8	पैसा 8	पैसा 5	पैसा .5	पैसा 6	पैसा 6
4–स्टिकप्ला पेस्टिंग सुविधा के साथ चार कलर में मुद्रित	60 माइक्रान चार कलर में मुद्रित विभागीय अनुमोदित डिजाइन	पैसा 18	पैसा 18	पैसा 15	पैसा 15	पैसा 17	पैसा 17
		मात्रा एक से 100 तक दर प्रति इकाई	मात्रा एक से 100 तक दर प्रति इकाई	मात्रा एक से 100 तक दर प्रति इकाई	मात्रा एक से 100 तक दर प्रति इकाई	मात्रा एक से 100 तक दर प्रति इकाई	मात्रा एक से 100 तक दर प्रति इकाई
5–रोटेटिंग बैनर विद स्टैण्ड	साइज 3X6 फीट, चार कलर में मुद्रित विभागीय अनुमोदित डिजाइन के अनुसार	रू. 3860	रू. 3860	रू. 3850	रू. 3850	रू. 3950	रू. 3950
6–फोल्डिंग स्टाल पाइप एल्यूमिनियम के तथा फ्लेक्स पर मुद्रित सामग्री	साइज 6X6X7 फीट चार कलर में मुद्रित विभागीय अनुमोदित डिजाइन के अनुसार	रू. 7865	रू. 7865	रू. 7850	रू. 7850	रू. 7950	रू. 7950
7–स्प्रिंकलर एच.डी.पी.इ./पी.पी. से निर्मित	10 लीटर क्षमता	रू. 555	रू. 555	रू. 550	रू. 550	रू. 580	रू. 580
8–चैफ कटर	मय गनासा,पहिया,ठीहा ,पनारा सहित वजन 68 किलो प्लस माइनस एक किलो	रू. 6755	रू. 6755	रू. 6740	रू. 6740	रू. 6940	रू. 6940
9–साईलेज आऊटर बैग एच.डी.पी.इ /पी0पी0 मैटेरियल पर निर्मित	साईज 27" गुणे 25" गुणे 27 इंच	रू. 968	रू. 968	रू. 963	रू. 963	रू. 983	रू. 983
10–इनर बैग एच.डी.पी.. से निर्मित	आकार 72" गुणे 24" गहराई 24 इंच	रू. 200	रू. 200	रू. 195	रू. 195	रू. 205	रू. 205

उपरोक्त तुलनात्मक चार्ट में कमांक 8 की दरें समिति द्वारा मान्य नही हैं क्यो कि मैसर्स रेनबो ऑफसेट, लखनऊ , तनवीर टेक्नोग्राफिक्स, लखनऊ ,तथा सहयोगी इंटरप्राइज, लखनऊ ने तकनीकी विड के साथ कमांक –8 का नमूना प्रस्तुत नही किया था । अतः कमांक –8 को छोडकर शेष कमांक – 1,2,3,4,5,6,7,9 तथा 10 की न्यूनतम दर मैसर्स सहयोगी इन्टरप्राईज गोमती नगर लखनऊ की प्राप्त हो रही है। समिति वर्ष 2015–16 हेतु न्यूनतम दर स्वीकृति की सहगति प्रदान करती है ।

27-7-15
(राजा सिंह यादव)
सहायक निदेशक(प्रचार)
सदस्य क्रय समिति

27/7
(डा. पी0के0 त्रिपाठी)
संयुक्त निदेशक (रो0नि0)
सदस्य क्रय समिति

(डा. पी.एस. गौतम)
अपर निदेशक (गोधन)
सदस्य क्रय समिति

27-7-15
(के0के0 रावत)
वित्त नियंत्रक
सदस्य क्रय समिति

27/7/15
(डा. रूद्र प्रताप)
निदेशक/
अध्यक्ष क्रय समिति

(9)

निविदा क्रमांक –3(प्रशिक्षण हेतु विविध सामग्री) का वित्तीय भाव प्रपत्र का तुलनात्मक चार्ट (वर्ष 2015–16)

सामग्री का नाम	सामग्री का विवरण	सहयोगी इंटरप्राइज, लखनऊ: मात्रा एक हजार तक दर प्रति इकाई	सहयोगी इंटरप्राइज, लखनऊ: मात्रा एक हजार से ऊपर दर, प्रति इकाई	रेनबो ऑफसेट, लखनऊ: मात्रा एक हजार तक दर प्रति इकाई	रेनबो ऑफसेट, लखनऊ: मात्रा एक हजार से ऊपर दर प्रति इकाई	प्रिंटको प्रिंटर्स, लखनऊ: मात्रा एक हजार तक दर प्रति इकाई	प्रिंटको प्रिंटर्स, लखनऊ: मात्रा एक हजार से ऊपर दर प्रति इकाई	तनवीर टेक्नोग्राफिक्स, लखनऊ: मात्रा एक हजार तक दर प्रति इकाई	तनवीर टेक्नोग्राफिक्स, लखनऊ: मात्रा एक हजार से ऊपर दर प्रति इकाई
1–बुकलेट विभागीय थीम प्राप्त कर साहित्य तथा चित्र तैयार करके अनुमोदन के उपरान्त कवर पन्ना 220 जी.एस.एम. चार कलर में मुद्रित दोनों साइड तथा अंदर के पन्नें 80 जी.एस.एम. चार कलर, दोनों साइड में मुद्रित आर्ट पेपर पर मुद्रित। कुल पन्नों की संख्या 24।	साइज ए–4	रू. 195	रू. 48	रू. 204	रू. 50.00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	अतिरिक्त प्रति पन्ना दर	रू. 4.25	रू. 2.75	रू. 4.40	रू. 3.00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	साइज ए–4/2	रू. 110	रू. 30	रू. 108	रू. 30.00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
	अतिरिक्त प्रति पन्ना दर	रू. 2.50	रू. 1.50	रू. 3.00	रू. 2.00	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2–राईटिंग पेन स्टैन्डर्ड (रिफिल साधारण)	विद विभागीय स्लोगन मुद्रित।	रू. 18	[redacted]	रू. 20.00	रू. 20.00	रू. 1800.00	रू. 1800.00	रू. 16.70	रू. 16.70
3–पैड 20 पन्नें रंगीन कवर सहित	साइज 9"X 5" मुद्रित	रू. 15	रू. 16	रू. 15	रू. 15.00	[redacted]	[redacted]	रू. 14.00	रू. 14.00
4–बैज विद हैगिंग पिन व नाम पट्टिका कार्ड तथा कवर सहित	आफसेट मुद्रित, साइज 5"X3"	[redacted]	[redacted]	रू. 22	रू. 22.00	——	——	रू. 18.00	रू. 18.00
5– बैज विद तीन पॉकेट (साइज 26"X12"X5")2 खाने तथा 2 चेन एवं स्पेस विभागीय स्लोगन का आफसेट द्वारा मुद्रित।	नॉयलान मैटेरियल पर निर्मित।	[redacted]	[redacted]	रू. 360	रू. 360.00	——	——	रू. 360.00	रू. 360.00
6–बैग चार कलर में मुद्रित विभागीय चित्र व साहित्य के अनुसार मुद्रित, आकार 18"X13"X2"	क–फोम पर निर्मित विद चेन। प्लास्टिक हैण्डिल के साथ।	[redacted]	[redacted]	रू. 88	रू. 88.00	——	——	रू. 85.00	रू. 85.00
	ख–पॉलिस्टर लैमिनेटेड प्लास्टिक पर निर्मित विदाउट चेन	[redacted]	[redacted]	रू. 87	रू. 87.00	——	——	रू. 86.00	रू. 86.00
7– प्लास्टिक बैग	क–(साइज 13"X9"X1.5") वेलक्रो युक्त नेम कार्ड विभागीय स्लोगन मुद्रित।	[redacted]	[redacted]	रू. 64	रू. 64	——	——	रू. 60.00	रू. 60.00
	ख–आकार 9"X12" वेलक्रो युक्त विभागीय स्लोगन मुद्रित	[redacted]	[redacted]	रू. 25	रू. 25	——	——	रू. 22.00	रू. 22.00
8–पॉली बुक कवर पृष्ठ 150 माइक्रान, अंदर के पृष्ठ 100 माइक्रान, 6 पन्ने (अतिरिक्त पन्ने जोड़े जाने पर प्रति पन्ना दर अलग से दें।) कवर पृष्ठ पर बाहर की ओर (एक तरफ) लैमिनेशन भी करना होगा। पॉलीबुक विभागीय चित्र एवं साहित्य के अनुसार चार कलर में मुद्रित एवं बाइंडिंग करके देनी होगी।	साइज ए–4	[redacted]	[redacted]	रू. 105	रू. 105	——	——	रू. 102.00	रू. 102.00
	अतिरिक्त प्रति पन्ना दर	[redacted]	[redacted]	रू. 9	रू. 9	——	——	रू. 7.00	रू. 7.00
	साइज 7.5X10 इंच	[redacted]	[redacted]	रू. 75	रू. 75	——	——	रू. 72.00	रू. 72.00
	अतिरिक्त प्रति पन्ना दर	[redacted]	[redacted]	रू. 8	रू. 8	——	——	रू. 7.00	रू. 7.00
	साइज 4X6 इंच	[redacted]	[redacted]	रू. 30	रू. 30	——	——	रू. 26.00	रू. 26.00
	अतिरिक्त प्रति पन्ना दर	[redacted]	[redacted]	रू. 9.00	रू. 9.00	——	——	रू. 7.00	रू. 7.00
9–बुकलेट विद पॉलीकवर कवर पृष्ठ 150 माइक्रान, पॉली पेपर निर्मित अंदर के पृष्ठ 130 जी.एस.एम. आर्ट पेपर निर्मित कवर को छोड़कर 6 पन्ने (अतिरिक्त पन्ने जोड़े जाने पर प्रति पन्ना दर अलग से दें।) कवर पृष्ठ पर बाहर की ओर (एक तरफ) लैमिनेशन भी करना होगा। पॉलीबुक विभागीय चित्र एवं साहित्य के अनुसार चार कलर में मुद्रित एवं बाइंडिंग करके देनी होगी।	साइज ए–4	[redacted]	[redacted]	रू. 95	रू. 95	——	——	रू. 92.00	रू. 92.00
	अतिरिक्त प्रति पन्ना दर	[redacted]	[redacted]	रू. 5	रू. 5	——	——	रू. 3.00	रू. 3.00
	साइज 7.5X10 इंच	[redacted]	[redacted]	रू. 60	रू. 60	——	——	रू. 58.00	रू. 58.00
	अतिरिक्त प्रति पन्ना दर	[redacted]	[redacted]	रू. 6	रू. 6	——	——	रू. 3.00	रू. 3.00
	साइज 4X6 इंच	[redacted]	[redacted]	रू. 30	रू. 30	——	——	रू. 25.00	रू. 25.00
	अतिरिक्त प्रति पन्ना दर	[redacted]	[redacted]	रू. 6	रू. 6	——	——	रू. 3.00	रू. 3.00
10– प्रशिक्षण चेयर (पी.पी. निर्मित) ऊँचाई 15" से कम न हो। (प्रतिष्ठित एवं ब्रांडेड कम्पनी की हो)	सीट स्पेस 15"X15" से कम न हो। हैण्डिल युक्त।	[redacted]	[redacted]	रू. 693	रू. 693	——	——	रू. 702.00	रू. 702.00

उपरोक्त तुलनात्मक चार्ट में कमांक 1,3 न्यूनतम दर मैसर्स प्रिन्टको प्रिन्टर्स लखनऊ की है तथा कमांक –1 की न्युनतम दर मैसर्स तनवीर टैक्नोग्रॉविस के समान है । कमांक–2 तथा 4,5,6,7,8,9,10 की न्यूनतम दर मैसर्स सहयोग इन्टरप्राईज लखानऊ की प्राप्त हुई है । अतः समिति वर्ष 2015–16 हेतु न्यूनतम दरो की स्वीकृति हेतु सहमति प्रदान करती है ।

27.7.15		27/7/2015	27.7.15	30/7/11
(राजा सिंह यादव)	(डा. पी0के0 त्रिपाठी)	(डा. पी.एस. गौतम)	(के0के0 रावत)	(डा. रूद्र प्रताप)
सहायक निदेशक(प्रचार)	संयुक्त निदेशक (रो0नियं0)	अपर निदेशक (गोधन)	वित्त नियंत्रक	निदेशक /
सदस्य क्रय समिति	सदस्य क्रय समिति	सदस्य क्रय समिति	सदस्य क्रय समिति	अध्यक्ष क्रय समिति

Received and Check by me